भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5032
31मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संचारी रोग

5032. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रवनीत सिंह:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री चैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लांसेट जर्नल ने भारत सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) और कोविड-19 के दोहरे प्रभाव से निपटने के लिए नीतिगत ध्यान केन्द्रित करने और कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या विगत कुछ दशकों के दौरान, एनसीडी के कारण होने वाली मृत्यु के प्रतिशत में वास्तव में बहुत वृद्धि हुई है जिससे राजस्व की भी भारी हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कोविड-19 की शुरुआत के बाद मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी धमनी रोग, अस्थमा और गुर्दे का काम करना बंद करना इत्यादि जैसे नए एनसीडी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली पर अधिक बोझ पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कोविड-19 के बाद के प्रभावों से बहुमूल्य मानव जीवन को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ड) क्या सरकार देश में एनसीडीएस और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कोई उपाय कर रही है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आरम्भ किए गए जागरूकता कार्यक्रम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): आईसीएमआर अध्ययन रिपोर्ट "भारत: राष्ट्र के राज्यों का स्वास्थ्य" (2017) के अनुसार,
1. भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण हुई मौतों का अनुपात वर्ष 1990 में 37.9% से बढ़कर वर्ष 2016 में 61.8% हो गया है।
2. भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का अनुपात वर्ष 1990 में 30.5% से बढ़कर वर्ष 2016 में 55.4% हो गया है।

[पूर्ण रिपोर्ट:
https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण
ii. मानव संसाधन विकास
iii. स्वास्थ्य संवर्धन
iv. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र के तहत 30 वर्ष और उससे अधिक आबादी की स्क्रीनिंग
v. शीघ्र निदान और प्रबंधन
vi. समुचित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र को रेफरल

एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत, 708 जिला एनसीडी क्लीनिक, 194 जिला कार्डियक केयर यूनिट, 301 जिला डे केयर सेंटर और 5671 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को कोविड-पश्चात परिणामों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दस्तावेज में हृदयवाहिका, गैस्ट्रोइनटेस्टिनल, नेफरोलॉजिकल, तंत्रिका-संबंधी तथा श्वसन पद्धतियों को प्रभावित करने वाली कोविड के बाद की समस्याओं तथा ऐसी समस्याओं से पुनर्वास संबंधी प्रबंधन पर डॉक्टरों के लिए विस्तृत मार्गदर्शन शामिल है।
उक्त दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को परिचालित किया गया है और इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mohfw.gov.in/pdf/NationalComprehensiveGuidelinesforManagementofPostCovidSequelae.pdf **पर उपलब्ध)** पर भी उपलब्ध कराया गया है।

एनसीडी रोकथाम और उपचार के लिए जागरूकता सृजन हेतु निम्नलिखित तरीकों पर भी फोकस किया गया है: –

1. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र स्कीम के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सामुदायिक स्तर पर आरोग्यता कार्यकलापों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर कैंसर के निवारक पहलू को मजबूत किया जाता है।
2 एनसीडी के बारे में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करके और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवसों का मनाया जाना शामिल है ।
3. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ भोजन को बढ़ावा दिया जाता है।
4. युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट संचालित किया गया है।
5. आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं।
6. इसके अतिरिक्त, एनपीसीडीसीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार एनसीडी के लिए की गई जागरूकता सृजन (आईईसी) गतिविधियों हेतु एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता देता है।

*****